87

पत्रांकः–6 / वि01–10110 / 16–2624 पटना, दिनांक–12 / 10 / 18

प्रेषक,

जितेन्द्र श्रीवास्तव,

सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बिहार।

विषयः–''हर घर नल जल योजना'' से सरकारी विद्यालयों / आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जल के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशंय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री निश्यच योजना, राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता सब–मिशन कार्यक्रम, नीर निर्मल परियोजना एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों मे पाईप जलापूर्ति योजना अंतर्गत प्रत्येक वार्ड / बसावटों के हर घर में गृह जल संयोजन देकर नल जल की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु विभाग द्वारा योजनाएँ स्वीकृत की गयी है एवं उनका कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। ज्ञातव्य हो कि राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक / मध्य विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी पेयजल की सुविधा नल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। उक्त के आलोक में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 5 टैप, मध्य विद्यालयों में न्यूनतम 7 टैप, आंगनबाड़ी केन्द्रों में न्यूनतम 2 टैप तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में न्यूनतम 5 टैप का प्रावधान कर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इस हेतु आवश्यकतानुसार योजना मे प्रावधान नहीं हो तो पाईप लाईन का विस्तार एवं **HDPE Storage Tank** का प्रावधान करते हुए पूर्व की स्वीकृत योजना का **Retrofitting** कराकर उक्त संस्थानों में पेयजल सुविधा सुनिश्चित की जाए। ''हर घर नल जल'' हेतु स्वीकृत की जाने वाली नई योजना से उक्त संस्थानों में पेयजल सुविधा हेतु उक्त वर्णित प्रावधान द सुविधा प्रदान की जाए।

अतः निदेश है कि स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्राथमिक / मध्य विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नल के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

सचिव।

ज्ञापांकः–2624 पटना, दिनांकः–12 / 10 / 18

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

सचिव।

ज्ञापांकः–2624 पटना, दिनांकः–12 / 10 / 18

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग / .... को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

सचिव।